**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2104**
**14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तर के लिए**

**वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम**

**†2104:डॉ सुभाष रामराव भामरेः**
**श्री सी.एन. अन्नादुरईः**
**श्री कुलदीप राय शर्माः**
**श्रीमती मंजुलता मंडलः**
**श्री धनुष एम. कुमारः**
**डॉ अमोल रामसिंह कोल्हेः**
**श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**
**डॉ. डी.एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:**
**श्री जी.सेल्वम:**
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना 'वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम' को अनुमोदित कर दिया है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;**

**(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार ऐसे कितने सीमावर्ती गांवों को शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या कम और संपर्क और अवसंरचना सीमित है;**

**(घ) इस कार्यक्रम से सीमावर्ती गांवों के विकास में किस प्रकार सहायता मिलेगी;**

**(ङ) क्या सरकार ने सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित मौजूदा योजनाओं को एक साथ मिलाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और**

**(च) सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना, आवास पर्यटक केन्द्रों, सड़क संपर्क के विकास, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान और आजीविका सृजन हेतु सहायता के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशिथ प्रामाणिक)**

(क) और (ख): सरकार ने 4 राज्यों और 01 केंद्र शासित प्रदेश यथा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती प्रखंडों में उत्तरी सीमा से सटे हुए गांवों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना 'वाइब्रेंट विलेजिस कार्यक्रम' को स्वीकृति दी है। कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है।

(ग) और (घ): प्रारंभ में, कार्यक्रम के अंतर्गत 662 सीमावर्ती गांवों की प्राथमिकता पर व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। राज्यवार गावों की संख्या इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश- **455**, हिमाचल प्रदेश- **75**, लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)- **35**, सिक्किम- **46** और उत्तराखंड- **51**

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है: (i) आर्थिक विकास - आजीविका के अवसरों का सृजन (ii) सड़क मार्ग से संपर्क (iii) आवास और ग्राम अवसंरचना (iv) पारम्परिक उर्जा एवं सौर/पवन उर्जा के माध्यम से अक्षय उर्जा की उपलब्धता (v) सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटि की स्थापना (vi) पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नउत्थान (vii) पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढावा (viii) वित्तीय समावेशन (ix) कौशल विकास और उद्यमिता (x) कृषि/बागवानी एवं औषधीय पौधे /जड़ी-बूटी की खेती आदि सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास।

(ड़) और (च): वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम का उद्देश्य जिला अभिसरण योजना के निर्माण के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की वर्तमान योजनाओं का अभिसरण करना है। यह चुनिंदा गांवों के लिए, वाइब्रेंट विलेजिस कार्य योजना में हस्तक्षेप के चिन्हित क्षेत्रों में परियोजनाओं को सम्मिलित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

******